आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय
महाप्रबंधक(कार्मिक)

सं0: **MCF/RBL/W.Club/ Election/2022** दिनांक: 21.12.2022

सामान्य दिशानिर्देश

विषय– वर्कर क्लब (चंद्रशेखर आजाद क्लब), प्रबंधक समिति निर्वाचन –2022 के लिए आरेडिका रायबरेली से नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधियों के लिए सामान्य दिशानिर्देश।

वर्कर क्लब (चंद्रशेखर आजाद क्लब) प्रबंधक समिति निर्वाचन–2022 के लिए आरेडिका रायबरेली से नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधियों को मतदान से पूर्व एवं मतदान की तिथि 28.12.2022 (सायं) तक चुनाव आचार सहिंता के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अनुपालन किया जाना अनिर्वाय है।

1. समस्त नामांकित कर्मचारी प्रतिनिधि अपने एक–एक अधिकृत प्रतिनिधि (एजेंट) का चयन करके अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.12.2022 तक उपलब्ध करवाएँ। जिसमें अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पदनाम, कर्मचारी संख्या, एक फोटो और पहचान पत्र संलग्न करें ।

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि चुनाव प्रचार के अंतर्गत दीवार पर लिखना, होर्डिंग, बैनर व पोस्टर आदि का प्रयोग न करें।

3. चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान आवासीय परिसर में लाउड स्पीकर, मोटर साईकिल रैली, टार्च रैली, पुतला जलाना एवं जश्न इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

4. चुनाव प्रचार के समय आवासीय परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर सभा/संगठित पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

5. चुनाव जारी होने के पश्चात चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः संबन्धित प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि चुनाव प्रचार में केवल हैंड बिल का ही प्रयोग करें।

6. चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य प्रत्याशी पर व्यक्तिगत आक्षेप न करें । केवल शालीन भाषा का ही प्रयोग करें ।

7. मतदान हेतु आए हुए प्रत्येक मतदाता को रेल विभाग से निर्गत अपना पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा ।

8. सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि निर्वाचन के दिन मतदान केंद्र **TTC/MCF** परिसर से बाहर ही (बाउण्डरी बॉल से) पोलिंग/पंडाल बूथ बनायें।

9. कर्मचारी प्रतिनिधि, वर्कर क्लब अपने पक्ष मे मत प्राप्त करने हेतु मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन नकद या तरह (**Cash or kind**) का उपयोग नही करेगें। मतदान प्रचार में शराब देने या बांटने से सभी कर्मचारी प्रतिनिधि दूर रहेगे।

21.12.22

10. मतदान केन्द्र एवं मतदान पंडाल में धूम्रपान वर्जित है ।

11. मतदान केन्द्र पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा ।

12. मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चो, मंदिरो और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

13. हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण और बाधारहित घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे कर्मचारी प्रतिनिधि और प्रत्याशी उनकी कर्मचारी प्रतिनिधि या गतिविधियों से कितने भी अप्रसन्न हों। किसी भी परिस्थिति में उनकी राय अथवा गतिविधियों के खिलाप विरोध जताने के लिए व्यक्तियों के घर के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने का सहारा नहीं लिया जाएगा।

14. मतदान समाप्त (सायं) होने तक आचार संहिता लागू रहेगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन करना अनिर्वाय होगा है।

21.12.22

(डी. एस. मीना)
निर्वाचन अधिकारी
आरेडिका, रायबरेली ।

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. अध्यक्ष वर्कर क्लब, आरेडिका/रायबरेली।
2. उप अध्यक्ष वर्कर क्लब, आरेडिका/रायबरेली।
3. समस्त नामांकित वर्कर क्लब सदस्य, आरेडिका, रायबरेली ।
4 सदस्य वर्कर क्लब, आरेडिका, रायबरेली नोटिस बोर्ड।
5. पीठासीन, मतदान एवं मतगणना अधिकारी, आरेडिका, रायबरेली ।